

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 72/25 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2025/339

अनवान्

1. श्री रामेश्वरदास पिता सीताराम वैरागी निवासी विकरणी तहसील घासा।
2. श्री बाबुदास पिता सीताराम वैरागी निवासी विकरणी तहसील घासा।
3. श्री रोशनदास पिता सीताराम वैरागी निवासी विकरणी तहसील घासा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नानिया पिता भेरा नुरावत गमेती निवासी विकरणी तहसील घासा।
2. श्री लोगरिया पिता भेरा नुरावत गमेती निवासी विकरणी तहसील घासा।
3. श्रीमती धनकी पत्नी देवला नुरावत गमेती निवासी विकरणी तहसील घासा।
4. प्यारी पुत्री देवला नुरावत गमेती निवासी विकरणी तहसील घासा।
5. नवली पुत्री देवला नुरावत गमेती निवासी विकरणी तहसील घासा।
6. श्रीमती कमलीबाई पत्नी कालुलाल भील निवासी विकरणी तहसील घासा।
7. श्री कैलाश पिता धन्ना गमेती भील निवासी रामबाडी सरे तहसील बडगांव।
8. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी नोजीराम भील निवासी विकरणी तहसील घासा।
9. श्री ललित पिता केशुलाल भील निवासी कुडी भीलवाडा लखावली उदयपुर।
10. श्रीमती शांति कुमारी पत्नी कैलाश गमेती भील निवासी रामबाडी सरे तहसील बडगांव।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3 से 10

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
—: : निर्णय : :—

दिनांक : 05.08.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा विकरणी तहसील मावली हाल घासा में साबिक आराजी नम्बर 714 नामी वली का वीडा क्षेत्रफल 17 बिस्वा भूमि अवस्थित थी जो विपक्षीगण के पिता श्री भेरा पिता मोती नुरावत गमेती के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित चली आ रही थी। वाद वर्णित भूमि वर्ष 1948 में भेरा पिता मोती ने 51/- रुपये जो कि तत्काल में नए चले थे, के बदले में प्रार्थीगण के पिता श्री सीताराम जी पिता रूपदास जी वैरागी को विक्रय कर दी क्योंकि श्री भेरा एवं उसके अन्य परिजनों



को रूपयों की आवश्यकता थी। जिस वजह से गांव के अन्य व्यक्तियों को ये भूमिया विक्रय की गई।

2. यह कि उक्त वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी के पिता को विक्रय की गई, राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के पिता श्री सीताराम जी के नाम अंकित हो गई तथा वे इसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे तथा उसी के समान अन्य व्यक्ति कमला डांगी पिता हेमा डांगी आदि भी अपनी-अपनी क्रयसुदा भूमियों पर काबिज चले आ रहे थे। जिस समय ये भूमिया क्रय की गई उस समय इन भूमियों की कीमत 100/- रूपये से कम थी एवं कब्जे का परिदान कर दिया जाना ही पर्याप्त था जिस वजह से उस समय विक्रय विलेख का पंजीयन आवश्यक नहीं था तथा रूपया लेकर कब्जे का परिदान श्री भेरा जी प्रार्थीगण के पिता को कर दिया था एवं एतद् अनुसार उक्त भूमि तत्समय प्रार्थीगण के पिता के नाम कृषक के रूप में अंकित हो गई। कालान्तर में जब राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टी की पुनः आवश्यकता आ पडी तो श्री भेरा जी ने अपने द्वारा पूर्व में किये गये विक्रय के संब्यवहार की पुष्टि करते हुए एक लिखत सम्वत् 2022 की फाल्गुन विद नवमी को निष्पादित कर दी जिसके लेखक व साक्षी नन्दगिरी गोस्वामी ने की व भेरा जी ने इस पर अपनी अंगुठा निशानी कर दी तथा पूर्व में किये गये विक्रय की पुष्टि कर दी। उक्त विलेख का सारभुत भाग जो पूर्व में किये गये विक्रय की पुष्टि करता है वो निम्न प्रकार है "सीताराम जी सादु विकरणी वाला पास सु लिदा रूपया रोकडा बजार चलनरा नोट लिदा, 51 अखरे एकावन लिदा तीरे पेटे बिकाव जमीन मौजा विकरणी में मारी बापती की जमीन नामी वली रो विडो, आराजी लगान रकबा समेत तक खड खेजड वाड वेलीया, मेर कोर सुदी बिकाउ कर कब्जा देता हूं सो अणी विडा रा पडौस उगमणाउ तो वैरागी सीताराम जी रो, डांगी कमला तीरासु बेचाव करायो जी विडा रो आतमणाउ पडौस वैरागी सीताराम रो मारा भाई वेणा तीरा सु पाती बेचाव कराई, जी विडा रो धराउ सरकारी जमीन, लंकउ पडौस वैरागी सीताराम जी मारा भतीजा धुला छतरिया सु बेचाव करायों"।
3. यह कि उक्त लिखत से पूर्व ही प्रार्थीगण के पिता इन भूमियों पर काबिज चले आ रहे थे एवं पूर्व में किये गये विक्रय की पुष्टि में उक्त विलेख विपक्षीगण के पिता ने निष्पादित कर किये गये विक्रय की पुष्टि कर दी एवं उनके पूर्वजों द्वारा की गई विक्रीत भूमि के आधिपत्य की सुपुर्दगी भी पुष्टि कर दी एवं एतद् अनुसार श्री सीताराम जी का नाम कृषक के रूप में अभिलेखों में दर्ज हो गया। उक्त भूमि क्रय करने के उपरान्त से ही प्रार्थीगण के पिता श्री सीताराम जी का वादग्रस्त भूमि एवं इसके पास की अन्य भूमियों पर स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है तथा वे निरन्तर इस भूमि पर कृषि कार्य करते रहे। कालान्तर में श्री सीताराम जी का देहान्त हो गया तथा उक्त भूमिया प्रार्थीगण

में न्यस्त हो गई तथा प्रार्थीगण सीताराम जी के निधन के उपरान्त इस भूमि पर काबिज हो गये व निरन्तर, निर्बाध एवं शांतिपूर्ण तरीके से काबिज चले आ रहे हैं एवं कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रार्थीगण इसी सद्भाविक सोच में थे उक्त भूमियों में प्रार्थीगण के पिता का नाम सम्वत् 2013 से पूर्व से ही चला आ रहा है तथा अन्य लोगो द्वारा विक्रय की गई भूमि उनके पिता के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई है। अतएव यह भूमि भी उनके नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो जावेगी। प्रार्थीगण निश्चित थे कि विगत 75 वर्षों से उनके निरन्तर, निर्बाध एवं शांतिपूर्ण आधिपत्य पर किसी ने आक्षेप नहीं किया है तथा वे ही इस भूमि पर कृषि कार्य कर रहे है सो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होवेगी।

4. यह कि अभी कुछ समय पूर्व कुछ भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग प्रार्थीगण की उक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण की अन्य भूमियों से संलग्न है, पर चक्कर काटने लगे और विपक्षीगण से उक्त भूमि क्रय करने का वार्तालाप करने लगे। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के उक्त कृत्य पर आक्षेप किया तो विपक्षीगण ने कथन किया कि विपक्षीगण ने पुराने नामों के आधार पर यह भूमि अपने नाम राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम अंकित करवा ली है और वे इन भूमियों को विक्रय कर के ही दम लेंगे। विपक्षीगण के उक्त कथन पर प्रार्थीगण ने एतराज किया व कहा कि वे 75 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर, निर्बाध और शांतिपूर्ण तरीके से इस भूमि पर काबिज चले आ रहे है और विपक्षीगण को इस प्रकार का अवैध कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है तो विपक्षीगण ने प्रार्थीगण के समक्ष इस भूमि की नवीन जमाबन्दी फेकी जिसमें उनका नाम भेरा के वारिसान के रूप में दर्ज था। प्रार्थीगण विपक्षीगण के उक्त कथन से स्तब्ध हो गये तथा उन्होंने इस भूमि के खाते की वर्तमान नकल निकलवाई तो प्रार्थीगण को ज्ञात आया कि उक्त भूमि वर्तमान में खाता संख्या 189 पुराना 169 की भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में बोल रही है तथा विपक्षीगण ने बिना किसी अधिकार के उक्त भूमिया डमी खातेदारों को विक्रय कर दी हैं।
5. यह कि प्रार्थीगण उक्त भूमि पर विगत 75 वर्षों से भी अधिक समय से काश्तकार के रूप में काबिज चले आ रहे है तथा उनके कब्जे की पुष्टि भी राजस्व अभिलेखों से होती है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में छुटी हुई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण विपक्षीगण का नाम अंकित हुआ है तथा भेरा के उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे मात्र राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर उनके आधिपत्य के बिना वाली भूमियों को विक्रय करे, विधि यह प्रवृत्त करती है कि राजस्व प्रविष्टिया मात्र राजकोषीय प्रविष्टिया होती है तथा वे न तो किसी प्रकार के हित का सृजन करती है न किसी प्रकार के हितो का समापन करती है। प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज विगत 75 वर्ष से भी अधिक समय से इन भूमियों

पर काबिज चले आ रहे हैं तथा राजस्व अभिलेखों में उनका नाम कृषक के रूप में दर्ज है तथा विपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं है कि उक्त भूमियों को प्रार्थीगण के अधिकारों के मुकाबले विक्रय करे एवं इस प्रकार के सभी संव्यवहार भेरा के उत्तराधिकारियों ने किये हैं वे अवैध, अकृत व शून्य हैं। विधि यह भी प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति के पास जितना हित हो वही हित वह अंतरित कर सकता है जब कब्जा प्रार्थीगण के पास है तो इसे विपक्षीगण अंतरित ही नहीं कर सकते हैं साथ ही भेरा जी ने अपने हित जब 75 वर्ष पूर्व ही त्याग कर प्रार्थीगण के पूर्वजों में समर्पित कर दी है तो विपक्षीगण को आपस में बिना कब्जे का पुष्टिकारक प्रमाण पुष्ट किये इन भूमियों को विक्रय करने का कोई अधिकार ही नहीं था एवं इस प्रकार विपक्षीगण ने आपस में जो संव्यवहार किये हैं वह प्रार्थीगण के अधिकारों के मुकाबले अवैध व शून्य है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार जो पुष्ट एवं सिद्ध हैं वे प्रार्थीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

6. यह कि उक्त कारण प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमियों के संबंध में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमियों पर 75 वर्ष से भी अधिक समय से कृषि कार्य कर रहे हैं तथा उनका निरन्तर, निर्बाध एवं शांतिपूर्ण कब्जा है किन्तु विपक्षीगण के कृत्य से यह आभास हो चला है कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमियों को आभासी रूप से आगे विक्रय कर प्रार्थीगण को बेदखल कर सकते हैं मजबुरन प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश हैं। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ प्रकरण है तथा सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे में किसी भी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करे, न प्रार्थीगण के निरन्तर, निर्बाध एवं शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करे, न वादग्रस्त भूमियों को किसी प्रकार रहन, बैह, बक्षीस कर, न इन पर कोई भार या देयता ही कारित करे। विपक्षीगण न तो स्वयं यह कार्य करे, न अपने एजेन्ट, नौकर, प्रतिनिधी समुनुदेषिती आदि से ही करावें। विवादन काल में विपक्षीगण वादग्रस्त भूमियों के मौके एवं रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन कर देवे तो वाद से पूर्व की स्थिति प्रतिस्थापित कराई जावें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 3 से 5, 9 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी संख्या 6 से 8, 10 द्वारा जवाब मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र माननीय आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 1948 में भेरा पिता मोती द्वारा 51/—

रूपये के प्रतिफल में प्रार्थीगण के पिता सीताराम को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को विक्रय करने का कथन किया है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित रूप से सीताराम जी के वारिसान बताते हुए एवं विपक्षीगण को भेरा पिता मोती भील के वारिसान बताते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है किन्तु प्रार्थना पत्र में कही पर भी सीताराम अथवा भेरा के कुल कितने वारिस है, इसका कही पर भी कोई उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अपने पिता के नाम पर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने का कथन किया है किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में ऐसा कोई भी अंकन नहीं है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पटवारी द्वारा सत्यापित जमाबन्दी की प्रतिलिपि अथवा तहसीलदार घासा द्वारा जारी ई हस्ताक्षरित जमाबन्दी की नकल से दावा नहीं किया गया है, मात्र कम्प्यूट्रीकृत जमाबन्दी के आधार पर वाद पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर स्पष्ट रूप से उपरोक्त जमाबन्दी किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में काम में नहीं ली जा सकती है का अंकन है, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र/वाद पत्र इसी आधार पर निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में उपरोक्त भूमियां भेरा पिता मोती के निधनोपरान्त किसके नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हुई का कही पर भी कोई अंकन नहीं किया है जिससे भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट होने से चलने योग्य नहीं है।

8. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हम विपक्षीगण एवं कैलाश पिता डुंगा जी के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि आज भी हम विपक्षीगण हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। ऐसा कोई दस्तावेज हम विपक्षीगण की जानकारी में नहीं है न ही तथाकथित दस्तावेज से हम विपक्षीगण पाबंद हैं। वादग्रस्त जायदाद के इंच मात्र हिस्से पर भी प्रार्थीगण काबिज नहीं है, वरन् हम विपक्षीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार अथवा दखल नहीं है। प्रार्थीगण ने मात्र हम विपक्षीगणों की भूमि हडपने की गरज से यह मिथ्या दस्तावेज तैयार किया है एवं हम प्रार्थीगण जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति में आते हैं और प्रार्थीगण जाति से वैरागी है जो अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में आते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी उपबन्ध में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि बिना भू रूपान्तरित करवाये किसी भी अन्य श्रेणी के नाम पर दर्ज नहीं हो सकती है, इस आधार पर भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विचारण योग्य नहीं है। हम विपक्षीगण ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर विधिक प्रक्रियाओं के अनुसरण में खातेदारान से अपने पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करवा भूमि को अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाया है, जो प्रार्थीगण के

कहने मात्र से निष्प्रभावी नहीं हो जाते हैं। प्रार्थीगण के कथन अपने—आपमें हास्यापद् हैं। विपक्षीगण ने कब भूमि की नवीनतम जमाबन्दी प्रार्थीगण के समक्ष फेकी इसका कोई उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र/वाद पत्र में नहीं किया है मात्र हम गरीब जाति से भील व्यक्तियों की भूमि को हडपने की नियत से उक्त गलत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम विपक्षीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये वादग्रस्त भूमि के साथ—साथ अन्य भूमि को क्रय कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम पर दर्ज करवाया है।

9. यह कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के इंच मात्र भूमि पर कही पर भी काबिज नहीं है, वरन् हम विपक्षीगण मौके पर हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है जो दस्तावेज विक्रेतागण द्वारा हम विपक्षीगण के नाम पर निष्पादित किये है वे पूर्ण विधिक प्रक्रियाओं के अनुसरण में निष्पादित किये गये हैं। जब मौके पर प्रार्थीगण काबिज काश्त ही नहीं है तो उन्हे बेदखल करने का कथन अपने आपमें हास्यापद् हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी सुरत में चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थीगण का किसी भी सुरत में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है न ही सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर सव्यय खारिज फरमाया जावें।
10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता स्व. सीताराम जी ने अपने जीवन काल में सम्वत् 2003—2004 अर्थात् 1948 के लगभग अपनी कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कृषि भूमि जिसका नाम वली रो वीडो जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 714 है, जो तात्कालीक समय में भेरा पिता मोती के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, उक्त कृषि भूमि को तात्कालीक चलन के रूपये 51/— इक्कावन रूपये में खरीदी जिसके पडौस इस प्रकार रहे कि उगमणा अर्थात् पूर्व की जमीन जो सीताराम जी द्वारा डांगी कमला से खरीदी गई, आतमणाउ अर्थात् पश्चिम पडोस सीताराम जी रो जो भेरा के भाई वेणा से खरीदी। धराउ अर्थात् उत्तर पडोस सरकारी बिलानाम जमीन का। लंकाउ अर्थात् दक्षिण सीताराम जी रो जो भेरा के भतीजा धुला, छतरिया से सीताराम जी ने खरीदी। भेरा पिता मोती की कृषि भूमि के तीन पडौसी जिनमें से दो पडौसी भेरा के परिवार के ही अर्थात् भाई व भतीजा थे, की जमीन व एक पडौस डांगी कमला जी की जमीन का हिस्सा को तात्कालीक समय में खरीदा गया। उक्त चारो पडौस मध्य की कृषि भूमि को भेरा पिता मोती से लगभग सन् 1948 में सीताराम जी द्वारा खरीदा गया।
11. यह कि उक्त भेरा पिता मोती की कृषि भूमि जब तात्कालीक समय में किसी कारण से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुई तो राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टी हेतु पुनः आवश्यकता

होने से भेरा पिता मोती ने सम्वत् 2022 को एक लिखतम सीताराम के पक्ष में अपनी जमीन जिसका नाम वली रो वीडो था का निष्पादन किया। जिसके लेखक व साक्षी नन्दगिरी गोस्वामी थे। भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग उदयपुर की खसरा सम्वत् 2023 में आराजी नम्बर 714 वली का वाडिया में भी सीताराम सादू नाम दर्ज है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज सीताराम द्वारा खरीदशुदा है। उक्त लिखतम से पूर्व ही प्रार्थीगण के पिता इन भूमियों पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं भेरा जी ने अपने द्वारा पूर्व में किये विक्रय की पुष्टि स्टाप्प पर लिखापढी कर उक्त कृषि भूमि के विक्रय की पुष्टि कर दी। प्रार्थीगण इसी सद्भाविक सोच में रहे कि प्रार्थीगण के पिता के नाम पर ही राजस्व रेकार्ड में सभी खरीदशुदा कृषि भूमिया राजस्व रेकार्ड में अंकित हो गयी है, जिससे उक्त कृषि भूमि भी उनके पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हो जावेगी। प्रार्थीगण का विगत 75 वर्षों से अपने पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है एवं उनके उक्त शांतिपूर्ण, निरन्तर, निर्बाध आधिपत्य पर कभी भी किसी ने आक्षेप नहीं किया है तथा प्रार्थीगण ही इस कृषि भूमि को अपने उपयोग उपभोग में ले रहे हैं।

12. यह कि उक्त कृषि भूमि जिसमें खेत नामी वली रो वीडो का विक्रय भेरा द्वारा सन् 1948 में ही अपने भाई एवं भतीजे द्वारा किये गये विक्रय के समय ही कर दिया। जिसकी पुष्टि में एक लिखापढी सम्वत् 2023 में पुनः कर दी। उक्त विक्रय प्रतिफल की राशि मात्र 51/- रूपये होने से उक्त लिखापढी का पंजीयन कराया जाना कानूनन आवश्यक नहीं रहा एवं काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 भी उक्त विक्रय पश्चात् लागू होने से इसका कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होने से उक्त विक्रय को किसी प्रकार से अवैध घोषित नहीं करती बल्कि 1955 से पूर्व अनुसूचित जनजाति के साथ किया गया विक्रय वैध हैं। इसलिए उक्त विक्रय भी पूर्ण वैध होने से प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं। भेरा पिता मोती द्वारा निष्पादित लिखापढी में लंकाउ अर्थात् दक्षिण सीताराम जी रो जो भेरा के भतीजा धुला, छतरिया से सीताराम जी ने खरीदी बता रखा है उक्त लंकाउ अर्थात् दक्षिण दिशा की कृषि भूमि जो भेरा के भतीजा धुला, छतरिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, उक्त कृषि भूमि वर्तमान में हमारे नाम पर दर्ज होकर जिसके आराजी नम्बर 717 है। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा किया गया उक्त विक्रय संव्यवहार पूर्णतया वैध है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व किया है। भेरा पिता मोती द्वारा निष्पादित लिखापढी में उगमणा अर्थात् पूर्व दिशा में सीताराम जी रो जो डांगी कमला से सीताराम जी ने खरीदी बता रखा है एवं कमला डांगी ने उक्त कृषि भूमि गोदा भील से खरीदी जिसके नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 712, 713 है, कमला द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि

के व्यक्ति भी अनुसूचित जनजाति के थे, तात्कालिक समय में अनुसूचित जनजाति द्वारा किया गया विक्रय संव्यवहार पूर्णतया वैध था। जिसे बाद में सन् 1955 द्वारा कानूनन प्रतिबंधित किया गया। वर्तमान में कमला फौत हो चुका है।

13. यह कि सहवन से तात्कालिक समय में राजस्व रेकार्ड में उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण भेरा के वारिसान द्वारा उक्त अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को भूमि दलालों के सम्पर्क से अजनबी क्रेतागण को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दिया एवं अब भूमि दलालो द्वारा अजनबी क्रेतागण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करा दिये जाने का फायदा उठा ताकत के बल पर हम प्रार्थीगण को अपने कब्जे से हटाने पर आमादा है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हम प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त कृषि भूमि लगभग 1948 में ही खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया और आज भी उक्त कृषि भूमि पर हम प्रार्थीगण का कब्जा होकर हमारे ही उपयोग उपभोग में हैं। इसलिए भी प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार किसी भी अचल सम्पति का मूल्य 100/- एक सौ रुपये से कम होने पर उसके पंजीयन कराया जाना अनिवार्य नहीं हैं। वैकल्पिक (OPTIONAL) होता हैं। चूंकि उक्त कृषि भूमि का विक्रय मूल्य भी 51/- इक्कावन रुपये ही होने से इसका पंजीयन कराया जाना आवश्यक नहीं रहा। उक्त कृषि भूमि का विक्रय भी 1948 के लगभग होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से प्रतिबन्धित नहीं है एवं सम्वत् 2023 की खसरा जमाबन्दी में वली रो वीडो आराजी नम्बर 714 पर सीताराम सादू नाम दर्ज होने से व सन् 1948 से ही उक्त कृषि भूमि पर हमारे परिवार का कब्जा हो उपयोग उपभोग काश्त में हैं। जिससे भी प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. यह कि त्रिवेणी श्याम शर्मा बनाम राजस्व बोर्ड एवं अन्य, 27 अगस्त 1964 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश अनुसार भी "In this view of the matter there seems to be no force in the contention raised by learned counsel for the contending respondents, because Gyarsia had parted with his Khatedari rights in the property long before the proviso was added to section 42. The insertion of the proviso could not revive his interest merely because the deeming clause rendered its operation retrospective. His interest had already ceased to exist and there remained nothing to be protected by law. We, therefore, hold that the deeming clause was violative of Article 19 in so far as it resulted in

divesting the petitioner in whom the vendor's rights and interests had vested before the second amendment."

15. यह कि उक्त प्रकरण में भी भेरा द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात का विक्रय लगभग सन् 1948 में कर देने से भेरा का हित पहले ही समाप्त हो चुका था मात्र राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से अब भेरा के वारिसानों को पुनः अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि भेरा द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात का विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की संशोधित धारा 42 के पूर्व ही किया जा चुका था जिससे उसका उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर अधिकार समाप्त हो चुका था। अधिनियम की धारा 42 में संशोधन से पहले भेरा को सम्पत्ति में अपने अधिकारों का निपटान करने का मौलिक अधिकार था और क्रेता को उस सम्पत्ति को अर्जित करने और उसके बाद उसे अपने स्वामित्व में रखने का उतना ही मूल्यवान मौलिक अधिकार था। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे ताकि विपक्षीगण ताकत के बल पर हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावे, न ही वादग्रस्त भूमियों को किसी प्रकार रहन, बैह, बक्षीस करे, न ही उक्त भूमि पर कोई भार या देयता ही कारित करें। विपक्षीगण न तो स्वयं यह कार्य करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करवाये। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त Triveni Shyam Sharma vs Board Of Revnue And Ors. on 27 August, 1964 पेश किये। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2016 (1) Page 723, RLW 2015 (2) Page 802 पेश किये।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला- प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 6 से 8, 10 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को वर्ष 1948 में भेरा पिता मोती से 51/- रुपये में क्रय करना बताया है। उक्त क्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त आराजीयात भेरा पिता मोती के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि को विपक्षीगण के मौरूस भेरा से क्रय की गई थी लेकिन उक्त क्रय किये गये

दस्तावेज पंजीकृत नहीं होकर लिखित है। यह बात भी प्रार्थीगण की सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व लिखित बेचान किया गया है। न्यायालय का मानना है कि उक्त बेचान पंजीकृत नहीं होकर लिखित है। अतः विपक्षी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। क्रेता सामान्य वर्ग का व्यक्ति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत बेचान प्रतिबंधित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण के पक्ष में है परन्तु पूर्व में किये गये लिखित बेचान के आधार पर प्रार्थीगण काबिज है तो प्रार्थीगण को तत्काल वहां से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करना उचित प्रतीत नहीं है। अतः मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. अपूरणीय क्षति— चूंकि प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि वर्ष 1948 में 51/— रुपये में प्रार्थीगण के पिता सीताराम जी पिता रूपदास जी वैरागी द्वारा भेरा पिता मोती से क्रय करना बताया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि यदि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया गया था तो आज दिनांक तक अपने नाम दर्ज क्यों नहीं करवाई। प्रार्थीगण स्वयं के कथनानुसार प्रार्थीगण द्वारा 77 वर्ष पश्चात अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसकी सत्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किया जा सकेगा। वाद वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 6 से 8, 10 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई है। प्रतिवादी संख्या 6 से 8, 10 वादग्रस्त भूमि का खातेदार हो चुका है परन्तु प्रार्थीगण के पिता द्वारा वर्ष 1948 में भूमि क्रय करने के तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता है। यदि विपक्षी संख्या 6 से 8, 10 मौका परिवर्तन कर देते हैं तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. सुविधा का संतुलन — चूंकि वाद वर्णित भूमि को प्रार्थीगण के पिता द्वारा क्रय करना बताया है। यदि विपक्षी संख्या 6 से 8, 10 वादग्रस्त भूमि की स्थिति परिवर्तन कर देते हैं तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा का संतुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 714 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में विपक्षी

संख्या 6 से 8, 10 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि को वर्ष 1948 में 51/- रुपये में प्रार्थीगण के पिता सीताराम जी पिता रूपदास जी वैरागी द्वारा भेरा पिता मोती से क्रय कर मौके पर प्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा रही है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा वर्ष 1948 में 51/- रुपये में क्रय की जिसका बेचाननामा स्टाम्प किमती 1 रुपये पर खातेदार भेरा पिता मोती द्वारा सीताराम पिता रूपदास जी वैरागी के पक्ष में निष्पादित करवाया। यदि प्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया गया था तो आज दिनांक तक अपने नाम दर्ज क्यों नहीं करवाई। प्रार्थीगण स्वयं व इनके पिता द्वारा लगभग 77 वर्ष पश्चात अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जिसकी सत्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे मूल वाद में साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किया जा सकेगा। परन्तु वाद वर्णित भूमि विपक्षी संख्या 6 से 8, 10 के नाम पर दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 6 से 8, 10 मौका परिवर्तन अथवा निर्माण कर देते हैं तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थीगण द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करने वाले क्रेता को पाबंद नहीं किया जा सकता है। अपूरणीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 714 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 6 से 8, 10 मौके की यथास्थिति बनाए रखें। यदि कब्जा प्रार्थीगण का है तो इन्हें कब्जे से बेदखल नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली